प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
मत्स्य पालन विभाग।

यादि क्रमांक : यो0स0–III–2015/544
पंचकूला दिनांक : 21.04.2015

विषय : योजना स्कीम फार वैलफेयर आफ शडयूल कास्ट फैमिली फिशरीज सैक्टर फार दी ईयर 2015–16 की स्वीकृति प्रदान करने बारें।

****

योजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा विभाग की वार्षिक योजना वर्ष 2015–16 के लिए 1335.00 लाख रूपयें का प्रावधान किया गया है। इसमे से 200.00 लाख रूपयें की धनराशि अनुसुचित जाति के परिवारों को लाभ पहुचाने के लिए स्पैशल कॉम्पोनेन्ट प्लान के लिए वित्त विभाग हरियाणा सरकार ने दिनांक 29.03.2014 को अनुमोदित की गई है।

उदेश्य :–

प्रस्तावित योजना स्कीम मे केवल अनुसूचित जाति से सम्बधित व्यक्तियों को ही वित्तीय लाभ दिया जायेगा तथा इसे राज्य के सभी 21 जिलों में कार्यन्वित किया जायेगा। अनूसूचित जाति के परिवारों को मात्स्यिकी की जिन गतिविधियों को चलाने के लिए अनुदान के रूप मे जो वित्तीय सहायता दी जानी है, उनमे मुख्यतः तालाबों को पट्टे की धनराशि, जाल खरीदने, मछली बेचने की दुकानों तथा मछली पकड़ने के अधिसूचित पानियों की निलामी की राशि, खाद–खुराक पर अनुदान, प्रशिक्षण प्रदान करना, पंचायती तालाबों के सुधार पर अनुदान प्रदान करना, लघु एवं मध्य रंगीन मछलियों की बैकयार्ड हैचरी को स्थापित करने पर अनुदान प्रदान करना शामिल है। अनुसूचित जाति से सम्बधित अधिकतर परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन का निर्वाह कर रहे है अतः ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता पहुचा कर उन्हे जीविका के साधन उपलब्ध करवाना तथा उनका सामाजिक उत्थान करना इस स्कीम का मुख्य उदेश्य है।

लाभर्थियों का चुनाव :–

स्कीम की स्वीकृति के पश्चात इस स्कीम का समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जायेगा। इस स्कीम में प्रत्येक गतिविधि के लिए लाभर्थियों के चुनाव हेतू आवेदन मांगे जायेगे तथा लाभार्थियों का चुनाव जिला स्तर पर अधिकारियों की निम्नलिखित कमेटीं द्वारा किया जायेगा :–

1. सम्बन्धित मण्डल के उपनिदेशक मत्स्य अध्यक्ष

2.	जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
3.	जिला कल्याण अधिकारी	सदस्य
4.	सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी	सदस्य

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग की सभी स्कीमों मे 3000 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमे से 420 लाभार्थी अनुसूचित जाति के होगे, जिनको प्रस्तावित स्कीम मे वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। विभिन्न गतिविधियों जिसके लिए अनुदान प्रदान किया जाना है, का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	गतिविधि
1	ग्रामीण तालाबों को मछली पालन हेतू पटटे पर लेने के लिए वित्तीय सहायता।
2	अधिसूचित पानियों मे मछली पकडने के अधिकारो के लिए वित्तीय सहायता।
3	विभाग द्वारा स्थापित मछली मण्डियों मे दुकान तथा प्राईवेट किराये पर लेने के लिए वित्तीय सहायता।
4	मत्स्यकों/मत्स्य पालकों को जाल खरीद पर वित्तीय सहायता।
5	मत्स्य पालकों को खाद–खुराक (Pelleted Feed) पर वित्तीय सहायता।
6	30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित आबादी वाले ग्रामीण पंचायतों को तालाब सुधार पर वितीय सहायता प्रदान करना।
7	मत्स्य पालकों को लघु एवं मध्य रंगीन मछलियों की बैकयार्ड हैचरी को स्थापित करने पर अनुदान प्रदान करना।
8	मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करना ।

1. **प्रशिक्षण :–**

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मत्स्य पालन के लिए वर्ष 2015–16 के अंतर्गत 1022 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येंक व्यक्ति को मत्स्य पालन, जालों के बारे मे तथा अन्य गतिविधियों का 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके दौरान 100/– रूपये प्रतिदिन का प्रशिक्षण तथा 100/– रूपये प्रति व्यक्ति आने जाने का किराया प्रदान किया जायेगा तथा प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण सम्बधी सामाग्री उपलब्ध करवाई जायेगी। इस मद मे कुल 11.25 लाख रूपयें व्यय होगें।

2. मछली पालन के लिए पट्टा राशि पर अनुदान :

मछली पालन के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा अपने तालाब खुली बोली द्वारा 5 वर्ष के लिए पट्टे पर प्रदान किये जाते है। पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि जहा दो या अधिक तालाब है तो उस अवस्था मे एक तालाब अनूसूचित जाति के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जायें। हरियाणा राज्य मे अन्य राज्यों की तरह ग्रामीण तालाबों को पट्टे पर निश्चित राशि पर आंवटित करने का कोई प्रावधान नही है। केवल खुली बोली द्वारा ही उच्चतम बोली दाता को तालाब पटटे पर देने की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति से सम्बधिंत व्यक्ति को आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण खुली निलामी मे उन द्वारा मुकाबला नही किया जाता जिससे की बहुत कम संख्या मे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा तालाब पटटे पर

लिये जाते रहे है। विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान 1250 हैक्टेयर जलक्षेत्र के तालाब पट्टे पर दिलवाये जाने है जिनमे से 10 प्रतिशत तालाब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिलवायें जायेगे। राज्य मे तालाबों की औसत पटटा राशि 25,000/– रूपयें प्रति हैक्टेयर है परन्तु जिला मेवात, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, हिसार तथा जीन्द जिले मे पटटे की राशि 50,000/– रूपयें प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष भी हो जाती है। विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 50,000/– रूपयें प्रति हैक्टेयर अथवा पटटे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान के रूप मे प्रदान किया जायेगा तथा यह राशि केवल प्रथम वर्ष की पटटा राशि पर ही प्रदान की जायेगी तथा प्रदान किये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा 1,00,000/– रूपयें होगी ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी ग्रामीण तालाबों को पटटे पर लेकर स्वंय रोजगार के साधन अपना सके। ग्रामीण तालाब पटटे पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस मद मे कुल 125 हैक्टेयर जल क्षेत्र मे प्रथम वर्ष लीज मनी पर अनुदान प्रदान किया जाना है। इस पर लगभग 62.50 लाख रूपयें व्यय होने का अनुमान है।

3. जाल खरीद पर अनुदान :–

अधिसूचित अनुसुचित जाति के परिवारों को नदी नहरों व तालाबों से मछली पकडने के लिए मत्स्यकों को विभिन्न प्रकार के जालों की आवश्यकता पडती है । इसके अतिरिक्त अनुसुचित जाति के परिवारों द्वारा तालाब पट्टे पर लिए जाते है अथ्वा अपनी भूमि में तालाब बनाऐ जाते है उन तालाबों मे मछली बढौतरी की जांच, तालाबों मे खुराक की मात्रा तथा मछलियों की बिमारियों की जांच इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के जाल जैसे प्लैन्कटोनेट, कास्ट नेट, ड्रेग नेट, हेन्ड नेट तथा चाज जाल की आवश्यकता पडती है। इस स्कीम के तहत मत्स्यकों / मत्स्य पालकों को 15000/– रू0 प्रति व्यक्ति को जाल खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इस मद के अन्तर्गत 700 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभाविन्त करने के लक्ष्य रखे गऐ है जिस पर कुल 52.50 लाख रू0 खर्च होगे जिसकी व्यवस्था की गई है। इस मद के अन्तर्गत निम्नलिखित कमेटी द्वारा मत्स्यको द्वारा खरीदे गऐ जालों की वैरीफिकेशन उपरान्त ही अनुदान प्रदान किया जाऐगा।

कमेटी का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. सम्बन्धित मण्डल के उप–निदेशक मत्स्य।
2. सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी।
3. सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी।

4. अधिसूचित पानियों मे मछली पकडने के ठेके पर अनुदान :–

विभाग द्वारा राज्य के अधिसूचित पानियो मे (नदी, नहरें तथा ड्रेन) मछली पकडने के अधिकारी की निलामी एक वर्ष के प्रतिवर्ष की जाती है। अधिकारी की निलामी खुली बोली द्वारा की जाती है जिससे की अनुसूचित जाति से सम्बधितं व्यक्ति बोली मे मुकाबला नहीं कर पाते है। इस क्षेत्र मे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वंय रोजगार के साधन जुटा कर आर्थिक को सुदृढ करने के लिए यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि अधिसूचित पानियों मे मछली पकडने के अधिकारों की प्राप्ति पर अनूसूचित जाति से सम्बधित व्यक्ति को स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी तथा इस मद के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा 2,00,000/– रूपयें होगी। इस मद में 5 अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों का अनुदान प्रदान किया जायेगा जिस पर कुल 10.00 /– लाख रूपये का व्यय होना प्रस्तावित है और इस मद में प्रावाधान किया गया है।

5. **मछली मण्डियों में स्थापित दुकानों को तथा प्राईवेट दुकान किराये पर लेने के लिए अनुदान :–**

विभाग द्वारा राज्य मे तीन मछली मण्डियों की स्थापना की गई है जिनका संचालन हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष बहादुरगढ तथा गुडगावं मे दो नई मछली मण्डी बोर्ड द्वारा स्थापित की जानी है। इन मण्डियों मे मछली ब्रिक्री के लिए बनाई गई कुल दुकानों मे से 30 प्रतिशत दुकान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जायेगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दुकानों को खुली निलामी द्वारा किराये पर दिया जाता है। अतः विभाग का प्रस्ताव है कि थोक ब्रिक्री हेतू बनाई गई दुकानों के किराए तथा प्राईवेट दुकानों के किराये पर 50 प्रतिशत की दर से 5000/– रूपयें प्रति माह प्रति लाभार्थी तथा मछली की प्रचून ब्रिक्री के लिए बनाई गई दुकानों के किराये पर 3000/– रूपयें प्रति माह प्रति लाभार्थी अथवा वास्तविक किराया जो कम होगा के 50 प्रतिशत की दर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

6. **तालाब सुधार पर अनुदान :–**

इस स्कीम के अतंर्गत जिन गांव की जनसंख्या 30 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति की है उस गांव मे पंचायती भूमि का पंचायत से रेजुलेशन लेकर तालाब सुधार करवायें जायेंगे। जिस पर 2.00 लाख रू0 प्रति हैक्टेयर पर व्यय आयेगा। यह खर्च 100 प्रतिशत विभाग द्वारा वहन कर 20 हैक्टेयर में तालाब सुधार किया जायेगा। जिस पर कुल 40. 00 लाख रू0 खर्च होगें जिसकी व्यवस्था इस मद में की गई है।

7. **खाद खुराक पर अनुदान :–**

इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पट्टे पर लिये गये पंचायती तालाब व निजि भूमि पर खुदवाये गये तालाबों में मत्स्य पालन करने के लिये खाद खुराक (Pelleted Feed) के उपयोग पर अनुदान प्रदान किया जायेगा। खाद खुराक

पर अनुदान 50 प्रतिशत की दर से 12,500/– रूपये प्रति हैक्टेयर से प्रदान किया जायेगा। जिसकी अधिकतम सीमा 50,000/– रूपये रखी गई है। जिसमें 25 प्रतिशत मत्स्य किसान विकास एजैन्सी एवं 25 प्रतिशत इस स्कीम के तहत् व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इस मद में 100 हैक्टेयर पर अनुदान दिया जायेगा जिस पर कुल 12.50 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।

8. **लघु एवं मध्य साईज की रंगीन मछलियों की बैकयार्ड हैचरी की ईकाई पर अनुदान :–**

इस स्कीम के अर्न्तगत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा निजि जमीन पर लघु एवं मध्य साईज की रंगीन मछलियों की बैकयार्ड हैचरी की ईकाई स्थापित करने पर विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जायेगा। लघु साईज की रंगीन मछलियों की बैकयार्ड हैचरी की 10 ईकाईयां स्थापित की जायेगी जिस पर 50 प्रतिशत की दर से 12,500/– रूपये प्रति व्यक्ति को अनुदान दिया जायेगा, जिसमें 25 प्रतिशत राष्ट्रीय मात्स्की विकास बोर्ड तथा 25 प्रतिशत इस स्कीम के तहत् व्यय किया जायेगा।

इसी तरह मध्य साईज की रंगीम मछलियों की बैकयार्ड हैचरी की 10 ईकाईयां स्थापित की जायेगी जिस पर 50 प्रतिशत की दर से 100,000/– रूपये प्रति व्यक्ति को अनुदान दिया जायेगा, जिसमें 25 प्रतिशत राष्ट्रीय मात्स्की विकास बोर्ड तथा 25 प्रतिशत इस स्कीम के तहत् व्यय किया जायेगा।

इस दोनों मदों में अनुदान प्रदान करने के लिये कुल 11.25 लाख की व्यवस्था की गई है।

इस स्कीम के तहत् जिन–2 गतिविधियों पर अनुदान राशि प्रदान की जानी है, भौतिक व वित्तीय लक्ष्य निम्नलिखित तालिका मे दर्शायें गऐ है :–

क्र0 सं0	गतिविधि	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपयें)
1	तलाबों की पट्टा राशि पर अनुदान।	हैक्टेयर	125	62.50
2	अधिसूचित पानियों की नीलामी पर अनुदान।	संख्या	5	10.00
3	विभाग द्वारा स्थापित मछली मण्डियों मे दुकान तथा प्राईवेट किराये पर अनुदान।	संख्या		
4	जाल खरीद पर अनुदान।	संख्या	700	52.50
5	मत्स्य पालकों को खाद–खुराक (Pelleted Feed) पर अनुदान।	हैक्टेयर	100	12.50
6	30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित आबादी वाले ग्रामीण पंचायतों को तालाब सुधार पर वितीय सहायता प्रदान करना।	हैक्टेयर	20	40.00
7	मत्स्य पालकों को लघु एवं मध्य साईज की रंगीन मछलियों की बैकयार्ड हैचरी को स्थापित करने पर अनुदान प्रदान करना।	संख्या	20 (10 लघु व 10 मध्य)	11.25
8	मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करना ।	संख्या	1022	11.25
	कुल			**200.00**

उपरोकत तथ्यों को ध्यान मे रखते हुये सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित स्कीम को कार्यन्वित करने हेतू 200.00 लाख रूपयें की स्वीकृति एक मुश्त में प्रदान करने का कष्ट करें। विभाग यह भी प्रस्ताव करता है कि इस स्कीम के अंतर्गत किये जाने वाले अनुदान की स्वीकृति जारी करने के लिए निदेशक सक्षम अधिकारी होगें।

यह खर्च मुख्य शीर्ष 2405–फिशरीज–789–स्पैशल कॅम्पोनैन्ट प्लान स्कीम फार दी वैल्फेयर आफ शड्यूल कास्ट फॅमिली फिशरीज सैक्टर वर्ष 2015–16 के अतंर्गत होगा ।

इस स्कीम के अंतर्गत निदेशक मत्स्य पालन हरियाणा, पंचकूला कन्ट्रोलिंग तथा आदान तथा वितरण अधिकारी होगें इसके अतिरिक्त सयुंक्त निदेशक मत्स्य पालन हरियाणा, पंचकूला/ उपनिदेशक मत्स्य हरियाणा, मुख्यालय/ जिला मत्स्य अधिकारी मुख्यालय, जिला मत्स्य अधिकारी पंचकूला, मेवात, पलवल/ जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, भिवानी, झज्जर, जीन्द, नारनौल, फरीदाबाद, रेवाडी, फतेहाबाद, गुडगांव आदान तथा वितरण अधिकारी होगें।

प्रस्ताव दौहरी प्रतियों मे सरकार को प्रेषित करते हुऐ अनुरोध है कि 200.00 लाख रूपयें की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

सलंग्न : स्टेटमैंट ऑफ कॉस्ट ।

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला।
0/c

Endst. No. PA-III-2015/ 4919-43 पंचकुला दिनांक/ 8/5/15

इसकी एक प्रति सभी उप निदेशक मत्स्य व सभी जिला मत्स्य अधिकारी हरियाणा राज्य को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

उप-निदेशक मत्स्य (मु0)
कृते: निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा
पंचकुला।

STATEMENT OF COST

Plan scheme for the Welfare of Scheduled Caste Families Fisheries Sector for the year 2014-15.

Sr. No.	PUA	Amount (in Rs.)
1	Training	11.25
2	Subsidy	188.75
	Grand Total	**200.00**

(Rs. Two Hundred Lakh Only)